Application Inviting for Engagement of Contract Basis Coaches in A&N State Sports Council.

The A&N State Sports Council invites application from eligible candidates for coaches purely on contract basis for initial period of **01 year**. The coaches/Gym Instructor selected for the A&N State Sports Council would be posted anywhere in A&N Islands. The coaches will be selected for the following discipline:-

1. Volleyball - 01 No.
2. Badminton - 01 No.
3. Swimming (Male/Female) - 02 No
4. Gym Instructor (P/Blair, Car Nicobar & Diglipur) - 03 Nos. (1 lady for Port Blair, 1 each male for Car Nicobar & Diglipur)
5. Squash - 01 No.
6. Lawn Tennis - 01 No.
7. Table Tennis - 01 No.
8. Basketball - 01 No.
9. Football - 01 No.
10. Athletics - 01 No.
11. Cricket - 02 Nos.

S. No	**Heading**	**Provision**
1.	Name of the post	Coach
2.	Number of Post(s)	15 (Subject to variation depending on work load)
3.	Scale of Pay	Rs. 32,000/- per month (Consolidation remuneration)
4.	Age	For Male 18-45 Yrs. For Female 18-40 Yrs. The crucial date of determining age and educational qualification etc. will be the closing date of receipt of application. Relaxable in case of Govt. Servant/ST candidates as per order of GOI inforce.
5.	Educational qualification	Essential- Diploma in Coaching from SAI, NS, NIS Patiala or any other recognized India/Foreign University. **Or** Participating in Olympic/Asian Games/ World Championship in the discipline concern with a certificate in coaching. **Or** Secondary school examination from recognized board or equivalent with certificate in coaching alongwith participation in National Level Championship and Security 1st ,2nd or 3rd position in the discipline concern. **Or** Secondary school examination from recognized board or equivalent with participation in the International level recognized sports championship.
6.	composition appointing selection committee	Principal Secretary(Health/Revenue) – Chairman Secretary (Edn. /Sports) – Member Secretary Secretary (Personnel) – Member Director (Sports) – Member Shri. Joy Kumar Roy (Administrative I/c, SAI) – Member
7.	Duties and responsibility	i. To impart training to the sports persons of different level. ii. To conduct talent search programme. iii. To maintain all related records relating to selection and imparting training to sportspersons. iv. To render services in connection maintenance of concerned sports infrastructures. v. To accompany teams in different level of tournaments. vi. To perform additional duties as and when assigned by senior officials of the A&N SSC.

8.	Terms and Conditions	1. The appointment of coaches appointed on contract basis will not confer on them any right of absorption or appointment on regular basis in the A&N SSC. 2. The appointment of coaches in the A&N SSC will be purely on contract basis for a period of 01 year. Except for the squash which is for the period of 6 month. 3. The coaches recruited for the A&N SSC will be posted in A&N SSC. 4. No request to transfer to any other particular place during the contract period would be entertained. 5. The discretion to post the selected coach the subsequent transfer will solely rest with the President, A&N SSC. 6. The coaches recruited for A&N SSC will perform the duties as and when assigned by the General Secretary, SSC. 7. During the period of engagement the coach will be paid a consolidated remuneration of Rs. 32,000/- per month for working on 06 days a week (Sunday being a Holiday) 8. The coach selected will be entitled to avail leave as follows:-\ a. Earned leave as admissible to the central Govt. Servant governed by the central civil services (Leave) Rules, 1972. b. Half pay leave/commuted leave as admissible to a temporary Govt. Servant under the central civil services (leave) Rules, 1972. 9. The Coach selected may required to proceed outside the place of posting of official duty in such case he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules to non-official member of A&N SSC. 10. He/She will not be entitled to any other facilities like reimbursement of Medical Expense, Leave travel concession etc. 11. The engagement with the SSC can be terminated after giving one month notice from either side. 12. During the period of engagement, the work performance would be under observation. If the performance is not as per requirement then the agreement can be terminated. 13. He/ She may be ask to perform specific acts and duties and shall have to discharge them with full satisfaction of the supervising officer. 14. No request for any kind to transfer would be entertained whatsoever. However depending upon the requirements the A&N SSC can transfer the coaches within the period of engagement to any other place of posting within A&N Islands. 15. This engagement will not entitle to the coach selected on contract basis to any claim, neither will it bestow any right on he/she for his /her appointment as a regular employee of the A&N SSC.

S. No	**Heading**	**Provision**
1.	Gym Instructor	Purely Contract Basis
2.	Number of Coaches	03 (Subject to variation depending on work load) (1 lady for Port Blair, 01each male for Car Nicobar & Diglipur)
3.	Remuneration	Rs. 32,000/- per month (Consolidation remuneration)
4.	Age	For Male 18-45 Yrs. The crucial date of determining age and educational qualification etc. will be the closing date of receipt of application. Relaxable in case of Govt. Servant/ST candidates as per order of GOI inforce.
5.	Educational qualification	Essential: i) Passed Secondary School Examination or equivalent. Ii) Diploma in Body building and Health Nutrition from recognized Institution of India.

6.	Duties and responsibility	i. To impart training to the sports persons, members/users of different level. ii. To maintain all related records relating to concern Gym. iii. To render services in connection maintenance of concerned Gym infrastructures and equipments. iv. To perform additional duties as and when assigned by senior officials of the A&N SSC.
7.	Terms and Conditions	1. The appointment of Gym Instructor appointed on contract basis will not confer on them any right of absorption or appointment on regular basis in the A&N SSC. 2. The appointment of Gym Instructor in the A&N SSC will be purely on contract basis for a period of 01 year. 3. The Gym Instructor recruited for the A&N SSC will be posted in A&N SSC. 4. No request to transfer to any other particular place during the contract period would be entertained. 5. The discretion to post the selected Gym Instructor the subsequent transfer will solely rest with the President, A&N SSC. 6. The Gym Instructor recruited for A&N SSC will perform the duties as and when assigned by the General Secretary, SSC. 7. During the period of engagement the Gym Instructor will be paid a consolidated remuneration of Rs. 32,000/- per month for working on 06 days a week. 8. The selected Gym Instructor will be entitled to avail leave as follows:-\\ a. Earned leave as admissible to the central Govt. Servant governed by the central civil services (Leave) Rules, 1972. b. Half pay leave/commuted leave as admissible to a temporary Govt. Servant under the central civil services (leave) Rules, 1972. 9. The selected Gym Instructor may required to proceed outside the place of posting of official duty in such case he will be entitled to TA/DA as admissible under the rules to non-official member of A&N SSC. 10. He will not be entitled to any other facilities like reimbursement of Medical Expense, Leave travel concession etc. 11. The engagement with the SSC can be terminated after giving one month notice from either side. 12. During the period of engagement, the work performance would be under observation. If the performance is not as per requirement then the agreement can be terminated. 13. He may be ask to perform specific acts and duties and shall have to discharge them with full satisfaction of the supervising officer. 14. No request for any kind to transfer would be entertained whatsoever. However depending upon the requirements the A&N SSC can transfer the Gym Instructor within the period of engagement to any other place of posting within A&N Islands. 15. This engagement will not entitle to the Gym Instructor selected on contract basis to any claim, neither will it bestow any right on he for his appointment as a regular employee of the A&N SSC.

Application along with a copy of the relevant documents, complete postal address and phone No. should reach the office of the General Secretary, A&N State Sports Council, Port Blair on or before 26.09.2016 at 4.00 PM.

Joint Secretary
A&N, State Sports Council

अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में अनुबंध के आधार पर कोच की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण

अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् द्वारा अनुबंध के आधार पर आंरभ में **01 साल** की अवधि के लिए कोच/ जिम अनुदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित कोच को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के किसी भी भाग में तैनाती की जाएगी। निम्नलिखित खेलों के लिए कोच का चयन किया जाएगा :–

1. वाली बॉल – 01
2. बैडमिन्टन – 01
3. तैराकी (पुरूष/महिला) – 02
4. जिम अनुदेशक – 03 (01 महिला पोर्ट ब्लेयार के लिए, 01 पुरूष कार निकोबार, तथा एक पुरूष डिगलीपुर के लिए)
5. स्कॉस – 01
6. टेनिस – 01
7. टेबल टेनिस – 01
8. बास्केटवॉल – 01
9. फुटबाल – 01
10. एथलेटिक्स – 01
11. क्रिकेट – 02

क्रम सं.	शीर्षक	प्रावधान
1.	पद का नाम	कोच
2.	पदों की संख्या	11 (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय)
3.	वेतनमान	रू. 32,000/–प्रति माह(समेकित पारिश्रमिक)
4.	आयु	पुरूषों के लिए – 18 से 45 वर्ष महिलाओं के लिए –18 से 40 वर्ष (आयु तथा शैक्षिक योग्यता आदि निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी) भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जाएगी।
5.	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य :– भारतीय खेल प्राधिकरण, एन एस., एन. आई.एस. पटियाला या किसी अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी संस्थान से डिप्लोमा। **या** संबंधित खेल में ओलंपिक/एशियाई खेल/विश्व चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और कोचिंग के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। **या** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास या कोचिंग में इसके समकक्ष योग्यता प्रमाणपत्र हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर चैम्पियनशिप में भाग लिया हो तथा संबंधित खेल में 1, 2 तथा 3 स्थान प्राप्त किया हो। **या** मान्यता प्राप्त बोर्ड माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों में चैम्पियनशिप हो।
6.	चयन समिति का प्रारूप व गठन	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य/राजस्व) – अध्यक्ष सचिव (शिक्षा/खेल) – सचिव सदस्य सचिव (कार्मिक) – सदस्य निदेशक (खेल) – सदस्य श्री जॉय कुमार राय (प्रशासनिक प्रभारी, भरतीय खेल प्रधिकरण) – सदस्य

7.	कार्य एवं उत्तरदायित्व	1. विभिन्न स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना। 2. प्रतिभा खोज कार्यक्रम संचालित करना। 3. खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण देने से संबंधित सभी रिकॉडों का रख–रखाव। 4. संबंधित खेल के लिए ढ़ाँचागत संरचनाओं के रख–रखाव हेतु सेवा प्रदान करना। 5. विभिन्न टूर्नामेंट्स स्तर में टीम के साथ रहना। 6. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जब कभी अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने पर उसे निष्पादन करना।
8.	निबंधन एवं शर्तें	1. अनुबंध के आधार पर नियुक्त कोच को इस नियुक्ति के आधार पर अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में संविलयन अथवा नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने की मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 2. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में कोच की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर **01 साल** की अवधि तक के लिए होगी तथा स्कॉस की अवधि 06 महीने के लिए होगी 3. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के लिए भर्ती किए गए कोच को अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद्, नेताजी स्टेडियम, पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया जाएगा। 4. अनुबंध अवधि के दौरान किसी अन्य विशेष स्थान पर स्थानातंरण किए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5. चयनित कोच को तैनात और उसके बाद स्थानांतरण करने का विशेषाधिकार केवल अध्यक्ष, अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के पास निहित होगा। 6. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के लिए भर्ती हुए कोच महासचिव, अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् द्वारा जब कभी भी सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे। 7. इस नियुक्ति के दौरान कोच को सप्ताह के 6 दिन (रविवार को अवकाश दिवस होने पर इसे छोड़कर) कार्य करने पर रू. 32,000/– प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 8. चयनित कोच निम्न अवकाश लेने के हकदार होंगे :– क) केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अर्जित अवकाश मान्य होगा। ख) केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 के अंतर्गत अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अर्ध वेतन अवकाश/ परिवर्तित अवकाश मान्य होगा।

		9. चयनित कोच को सरकारी ड्यूटी पर तैनाती स्थान के बाहर सरकारी ड्यूटी पर जाना होगा और इसके लिए उसे अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता मिलेगा। 10. उसे अन्य कोई सुविधा, जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्च, अवकाश यात्रा रियायत आदि के हकदार नहीं होगे। 11. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में इस नियुक्ति को एक माह के नोटिस देकर किसी भी ओर से समाप्त कर दिया जा सकता हैं। 12. इस नियुक्ति अवधि के दौरान, कार्य निष्पादन की प्रेक्षण किया जाएगा। यदि आवश्यकतानुसार कार्य निष्पादन नहीं पाया जाता है तो करार समाप्त कर दिया जा सकता है। 13. उनसे विशिष्ट कार्य करने को कहा जा सकता है जो उन्हें उनके पर्यवेक्षण अधिकारी को संतोष करते हुए करना होगा। 14. किसी भी स्थानांतरण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् कोच को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भीतर किसी अन्य स्थान में इस दौरान तैनात/स्थानांतरण कर सकते है। 15. इस नियुक्ति को लेकर चयनित कोच के पास अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में नियमित रूप से नियुक्त किए जाने का दावा अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

क्रम सं.	शीर्षक	प्रावधान
1.	पद का नाम	जिम अनुदेशक
2.	पदों की संख्या	03 (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय) 01 महिला पोर्ट ब्लेयार के लिए, 01 पुरूष कार निकोबार, तथा एक पुरूष डिगलीपुर के लिए
3.	वेतनमान	रू. 32,000/–प्रति माह(समेकित पारिश्रमिक)
4.	आयु	पुरूषों के लिए – 18 से 45 वर्ष महिलाओं के लिए –18 से 40 वर्ष (आयु तथा शैक्षिक योग्यता आदि निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी) भारत सरकार के आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जाएगी।
5.	शैक्षिक योग्यता	अनिवार्य :– दशवी पास समकक्ष शरीर निर्माण और स्वस्थ पौष्टिकता मे किसी भी संस्थान से डिप्लोमा।
6.	चयन समिति का प्रारूप व गठन	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य/राजस्व) – अध्यक्ष सचिव (शिक्षा/खेल) – सचिव सदस्य सचिव (कार्मिक) – सदस्य निदेशक (खेल) – सदस्य श्री जॉय कुमार राय (प्रशासनिक प्रभारी, भरतीय खेल प्रधिकरण) – सदस्य

7.	कार्य एवं उत्तरदायित्व	1. विभिन्न स्तर के खिलाड़ियों जिम के सदस्य सको प्रशिक्षण देना। 2. प्रतिभा खोज कार्यक्रम संचालित करना। 3. खिलाड़ियों जिम के सदस्य तथा जिम के सामग्रीयो प्रशिक्षण देने से संबंधित सभी रिकॉडों का रख–रखाव। 4. संबंधित खेल के लिए ढ़ाँचागत संरचनाओं के रख–रखाव हेतु सेवा प्रदान करना। 5. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जब कभी अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने पर उसे निष्पादन करना।
8.	निबंधन एवं शर्तें	1. अनुबंध के आधार पर नियुक्त जिम अनुदेशक को इस नियुक्ति के आधार पर अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में संविलयन अथवा नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने की मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 2. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में जिम अनुदेशक की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर **01 साल** की अवधि तक के लिए होगी। 3. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के लिए भर्ती किए गए जिम अनुदेशक को अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद्, नेताजी स्टेडियम, पोर्ट ब्लेयर में तैनात किया जाएगा। 4. अनुबंध अवधि के दौरान किसी अन्य विशेष स्थान पर स्थानातंरण किए जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5. चयनित जिम अनुदेशक को तैनात और उसके बाद स्थानांतरण करने का विशेषाधिकार केवल अध्यक्ष, अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के पास निहित होगा। 6. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के लिए भर्ती हुए जिम अनुदेशक महासचिव, अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् द्वारा जब कभी भी सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे। 7. इस नियुक्ति के दौरान कोच को सप्ताह के 6 दिन (रविवार को अवकाश दिवस होने पर इसे छोड़कर) कार्य करने पर रू. 32,000/– प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 8. चयनित कोच निम्न अवकाश लेने के हकदार होंगे :– क) केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अर्जित अवकाश मान्य होगा। ख) केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 के अंतर्गत अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य अर्ध वेतन अवकाश/ परिवर्तित अवकाश मान्य होगा।

		9. चयनित जिम अनुदेशक को सरकारी ड्यूटी पर तैनाती स्थान के बाहर सरकारी ड्यूटी पर जाना होगा और इसके लिए उसे अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता मिलेगा। 10. उसे अन्य कोई सुविधा, जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्च, अवकाश यात्रा रियायत आदि के हकदार नहीं होगे। 11. अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में इस नियुक्ति को एक माह के नोटिस देकर किसी भी ओर से समाप्त कर दिया जा सकता हैं। 12. इस नियुक्ति अवधि के दौरान, कार्य निष्पादन की प्रेक्षण किया जाएगा। यदि आवश्यकतानुसार कार्य निष्पादन नहीं पाया जाता है तो करार समाप्त कर दिया जा सकता है। 13. उनसे विशिष्ट कार्य करने को कहा जा सकता है जो उन्हें उनके पर्यवेक्षण अधिकारी को संतोष करते हुए करना होगा। 14. किसी भी स्थानांतरण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, आवश्यकतानुसार अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् जिम अनुदेशक को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के भीतर किसी अन्य स्थान में इस दौरान तैनात / स्थानांतरण कर सकते है। 15. इस नियुक्ति को लेकर चयनित जिम अनुदेशक के पास अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद् में नियमित रूप से नियुक्त किए जाने का दावा अथवा अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन, सभी कागज़ात, पूर्ण डाक पता तथा फोन संख्या आदि के साथ अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद्, पोर्ट ब्लेयर के महासचिव के कार्यालय में दिनांक 26.09.2016 तक या इससे पहले पहुँच जाना चाहिए ।

सयुंक्त सचिव
अंडमान तथा निकोबार राज्य खेल परिषद्
पोर्ट ब्लेयर